

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता

यह एडिटरियल 10/10/2023 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "The silence around the state's seizure of India's press" लेख पर आधारित है। इसमें चर्चा की गई है कि भारत किस प्रकार एक संक्रामक आपातकाल के साथ-साथ डिजिटल तानाशाही के एक चहिनति चरण से गुजर रहा है। इस संदर्भ में उच्च न्यायापालिका द्वारा कथित रूप से किसी नरिणायक कार्रवाई की अनिच्छा के विषय पर भी विचार किया गया है।

प्रलमिस के लिये:

[वशिव प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक](#), [रिपोर्टर्स वडाउट बॉर्डर](#), [प्रेस की स्वतंत्रता](#), [वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता](#), [भारतीय प्रेस परिषद](#), [सूचना और प्रसारण मंत्रालय](#), [न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन \(NBA\)](#), पत्रकारों की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र कार्य योजना

मेन्स के लिये:

[भारत में प्रेस की स्वतंत्रता](#), [वशिव प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक](#) में भारत का प्रदर्शन, [भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व](#), प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली संस्थाएँ, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की चुनौतियाँ, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपाय।

एक स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रक्षा करने और एक पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, ऑनलाइन पोर्टल **न्यूज़क्लिक (NewsClick)** से संबंधित पत्रकारों के विरुद्ध हाल की कार्रवाइयों (जहाँ छापे, जब्तों और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाइयाँ की गईं) ने भारत में डिजिटल डेटा की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

डिजिटल क्रांति के बीच भारत को डिजिटल तानाशाही या स्वेच्छाचारिता (digital authoritarianism) के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, भारत को देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये राजनीतिक कार्रवाई और न्यायिक दृढ़ संकल्प दोनों की आवश्यकता है।

‘प्रेस की स्वतंत्रता’ का अभिप्राय:

प्रेस की स्वतंत्रता (Press Freedom) एक मौलिक सिद्धांत है जो पत्रकारों और मीडिया संगठनों को सेंसरशिप या सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य करने की अनुमति देता है। यह [अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता \(freedom of expression\)](#) का मुख्य घटक है और एक लोकतांत्रिक समाज के लिये आवश्यक है।

प्रेस की स्वतंत्रता में निम्नलिखित प्रमुख पहलू शामिल हैं:

- **सेंसरशिप से स्वतंत्रता:** पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को सरकार द्वारा अधिपति किसी सेंसरशिप के बिना समाचार और सूचना प्रकाशन या प्रसारण में सक्षम होना चाहिये।
- **सूचना तक पहुँच:** एक स्वतंत्र प्रेस की सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों की जाँच करने और रिपोर्ट करने के लिये सूचना एवं स्रोतों तक पहुँच होनी चाहिये।
- **संपादकीय स्वतंत्रता:** संपादकीय स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि समाचार रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित हो और बाह्य हितों से प्रभावित न हो।
- **स्रोतों की सुरक्षा:** पत्रकारों को अपने स्रोतों (sources) की सुरक्षा करने में सक्षम होना चाहिये ताकि किसी मामले को उजागर करने वालों (whistleblowers) और मुखबिरों (informants) को जोखिम या प्रतिशोध के भय के बिना सूचना के साथ आगे आने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- **बहुलवाद और विविधता:** एक स्वतंत्र प्रेस को विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और मतों को शामिल करना चाहिये, जिससे समाज में खुली बहस और चर्चा की अनुमति मिल सके।
- **जवाबदेही:** मीडिया को सत्ता में बैठे लोगों के कार्यों एवं नरिणयों की जाँच और रिपोर्टिंग करने के माध्यम से उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिये।

संवैधानिक पृष्ठभूमि:

- संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। हालाँकि, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकार के कार्यों के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने का अवसर देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देता है।
 - मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है; इस अधिकार में बिना किसी हस्तक्षेप के मत प्रकट करने तथा किसी भी मीडिया के माध्यम से और सीमाओं की परवाह किये बिना सूचना एवं विचार की मांग करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल है।
 - हालाँकि, राष्ट्र और इसकी अखंडता की रक्षा के लिये अनुच्छेद 19(2) में कुछ प्रतिबंध भी लागू किये गए हैं।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति:

■ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (World Press Freedom Index) पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग करता है। ■ इसे 'रिपोर्टर्स वॉरल्ड' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल प्रकाशित किया जाता रहा है। ■ प्रत्येक देश या क्षेत्र के स्कोर का मूल्यांकन पाँच प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके किया जाता है: राजनीतिक संदर्भ, वित्तीय, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। ■ वर्ष 2023 में भारत 100 में से 36.62 अंकों के साथ 180 देशों की सूची में 161वें स्थान पर रखा गया। वर्ष 2022 में भारत की रैंक 150 थी।	OVERALL RANKING 161/180 Where India stands now India's position in '22 150/180 HOW NEIGHBOURS FARE Bhutan — 90 Sri Lanka — 135 Pakistan — 150 Afghanistan — 152 Bangladesh — 163 IN SECURITY INDICATOR 172/180 Only China, Mexico, Iran, Pakistan, Syria, Yemen, Ukraine & Myanmar below India
---	---

भारत के लिये स्वतंत्र प्रेस का क्या महत्त्व है?

- लोकतंत्र और जवाबदेही: पत्रकार सरकारी कार्यों, नीतियों और नरिण्यों की जाँच एवं रिपोर्टिंग करते हैं; इस प्रकार अधिकारियों को उनके कार्यों के लिये जवाबदेह ठहराते हैं।
- सूचना का प्रसार: यह नागरिकों को वर्तमान घटनाक्रमों, सरकारी गतिविधियों और सामाजिक मुद्दों के बारे में सूचित करने में मदद करता है, जिससे वे सूचित निर्णय लेने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकने में सक्षम होते हैं।
- सत्ता पर अंकुश: एक स्वतंत्र प्रेस सरकार और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। यह भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के हनन और अन्य गलत कृत्यों को उजागर करने में मदद करता है, जिससे सत्ता में बैठे लोगों के लिये दंडमुक्ति (impunity) के साथ कार्य करना कठिन हो जाता है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: एक स्वतंत्र प्रेस सरकारी कार्यकरण और नरिणयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यह उन गुप्त एजेंडों, हथियों के टकराव और अन्य कारकों को उजागर करने में मदद करता है जो सरकारी कार्यकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।
- विविध विचारों को अवसर: भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और दृष्टिकोणों वाला एक विविध देश है। एक स्वतंत्र प्रेस विविध आवाजों एवं दृष्टिकोणों के लिये मंच प्रदान करता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि विभिन्न समुदायों की चिंताओं को सुना जा रहा है।
- मूल अधिकारों का संरक्षण: एक स्वतंत्र प्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और जानने के अधिकार सहित मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। यह व्यक्तियों और समूहों के अधिकारों का पक्षसमर्थन कर इन अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है।
- अंतरराष्ट्रीय स्थिति: वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से प्रभावित होती है। प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखना लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की

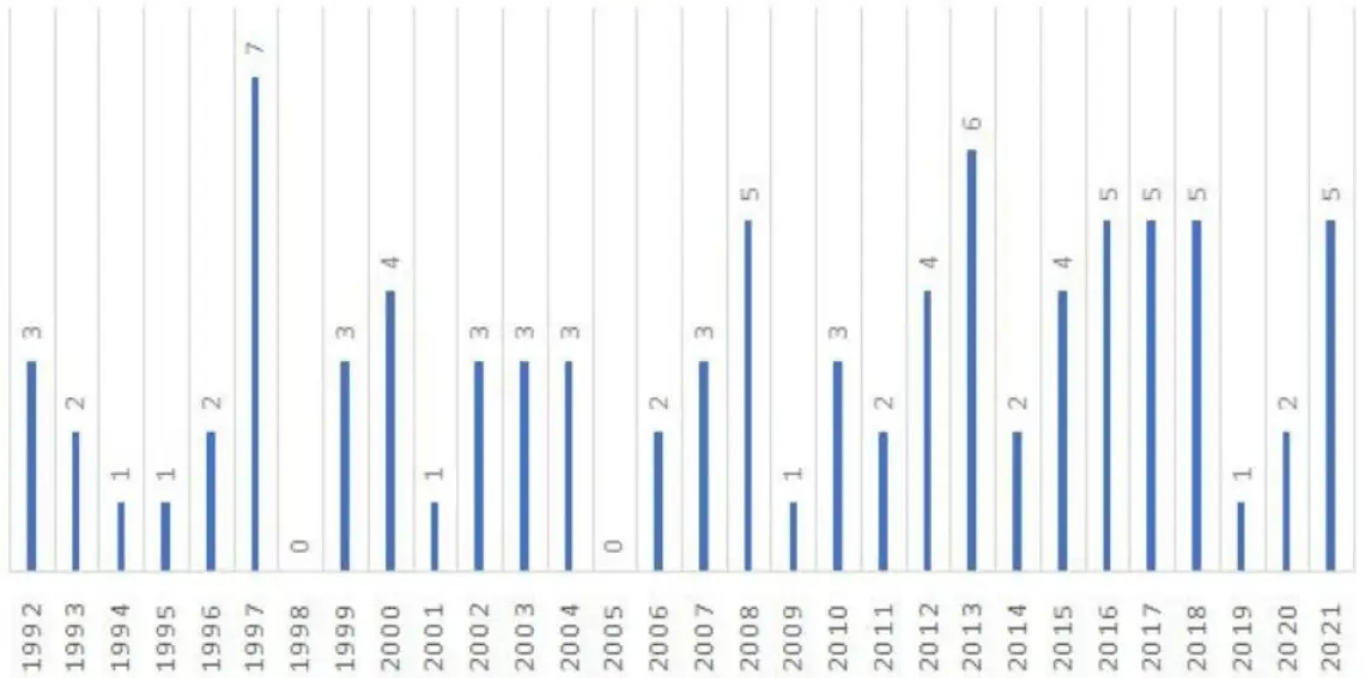
भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये कौन-से संस्थान ज़रिमेदार हैं?

- **भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India- PCI):** [भारतीय प्रेस परिषद](#) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापति एक सांवाधिक नकियाय है । यह प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के नैतिक मानकों की रक्षा करने तथा उसे बढावा देने के लिये एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है ।
- **सूचना और प्रसारण मंत्रालय:** [सूचना और प्रसारण मंत्रालय](#) एक सरकारी नकियाय है जो भारत में मीडिया क्षेत्र से संबंधित नीतियों एवं दशानरिदेश के नरिमाण के लिये ज़रिमेदार है ।
- **न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA):** [NBDA](#) एक स्व-नयामक नकियाय है जो भारत में नज़ी टेलीवज़िन न्यूज़ और समसामयिक मामलों के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है । यह टेलीवज़िन समाचार चैनलों के लिये [आचार संहति](#) एवं मानकों का नरिमाण और उनका प्रवर्तन करता है ।
- **एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया:** यह भारत के प्रमुख समाचार पत्रों और समाचार पत्रकारों के संपादकों का एक स्वैच्छिक संघ है । यह प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और पत्रकारों के अधिकारों एवं ज़रिमेदारियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिता है ।
- **वधिकि प्रणाली:** भारत की वधिकि प्रणाली (न्यायपालिका सहित) प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिता है । न्यायालयों के पास प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन को संबोधित करने, पत्रकारों की सुरक्षा करने और मीडिया से संबंधित कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार है ।
 - वर्ष 1950 में [रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य](#) मामले में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने माना था कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिये आधारभूत है ।
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठन:** [रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर](#) (Reporters Without Borders) और [कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स](#) (Committee to Protect Journalists) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की नगिरानी करते हैं और वैश्विक मंच पर उल्लंघनों के बारे में जागरूकता बढाते हैं ।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **वधिकि और नयामक बाधाएँ:** भारत में ऐसे कानून मौजूद हैं जिनका उपयोग प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिये किया जा सकता है, जैसे मानहानि कानून, राजद्रोह कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानून । इन कानूनों का इस्तेमाल कई बार पत्रकारों और मीडिया संगठनों को डराने-धमकाने के लिये किया **सरकारी हस्तक्षेप** जाता है ।
- **मीडिया आउटलेट्स की संपादकीय स्वतंत्रता** में सरकारी हस्तक्षेप के उदाहरण सामने आते रहे हैं । सरकारें मीडिया संगठनों को पुरस्कृत या दंडित करने के लिये **वजिज़ापन बजट का उपयोग** एक साधन के रूप में कर सकती हैं, जो फरि उनकी रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकता है ।
- **धमकी और हसिा:** भारत में भ्रष्टाचार, संगठित अपराध या सांप्रदायिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने में पत्रकारों को धमकी और हसिा का सामना करना पड़ता है । कुछ पत्रकारों पर कार्य के दौरान हमला किये जाने या उनकी हत्या कर दिए जाने जैसे मामले भी सामने आते रहे हैं ।
- **सेल्फ-सेंसरशिप:** विभिन्न स्रोतों से प्रतिशोध या दबाव के भय के कारण, पत्रकार और मीडिया आउटलेट सेल्फ-सेंसरशिप में संलग्न होने, कुछ वषियों पर रिपोर्टिंग से परहेज करने या रिपोर्टिंग के लिये सतर्क रुख अपनाने के लिये मजबूर हो सकते हैं ।
- **स्वामित्व और नयितरण:** भारत में मीडिया का स्वामित्व प्रायः कुछ शक्तिशाली संस्थाओं के हाथों में केंद्रित रहा है, जो संपादकीय नरिणयों को प्रभावित कर सकता है और मीडिया परदिश्य में आवाज़ों की वविधिता को सीमति कर सकता है ।
- **मानहानि के मुकदमे:** भारत में पत्रकारों और मीडिया संगठनों को प्रायः मानहानि के मुकदमों से नशाना बनाया जाता है, जो समय लेने वाला और आर्थिक रूप से बोझपूर्ण सिद्ध हो सकता है ।

NUMBER OF JOURNALISTS KILLED IN INDIA 1991-2021



भारत में स्वतंत्र और नष्पिक्ख प्रेस सुनश्चिति करने के लयि कौन-से उपाय कयि जा सकते हैं?

- **कानूनी सुरक्षा को सुदृढ़ करना:**
 - मानहानि और राजद्रोह कानून जैसे कुछ कानूनों में सुधार कयि जाना चाहयि जनिका दुरुपयोग प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतर्बिधति करने के लयि कयि जा सकता है।
 - प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन से जुड़े मामलों में त्वरति और नष्पिक्ख कानूनी प्रक्रयि सुनश्चिति की जानी चाहयि।
- **स्वतंत्र नयामक ढाँचा:**
 - स्वतंत्र मीडयि नयामक नकियों की स्थापना की जाए जनिके सदस्य समाज के वभिन्न वर्गों का प्रतर्निधित्व करते हों, जहाँ यह सुनश्चिति कयि जाए कवि सरकारी नयित्रण और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है।
- **पत्रकारों और सूचनादाताओं की रक्षा करना:**
 - ऐसे कानून अधनियमति और प्रवर्तति कयि जाएँ जो पत्रकारों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उत्पीड़न, हसिा और धमकयिों से बचाएँ।
 - सार्वजनिक हति में मीडयि को जानकारी प्रदान करने वाले सूचनादाताओं/मुखबरीं की सुरक्षा के लयि तंत्र स्थापति कयि जाए।
- **पारदर्शति को बढ़ावा देना:**
 - पारदर्शति को बढ़ावा देने और पत्रकारों को सरकारी सूचना तक अभगिम्यता में सक्षम बनाने के लयि सूचना की स्वतंत्रता या सूचना की अभगिम्यता संबंधी सुदृढ़ कानून बनाए जाएँ।
 - मीडयि एकाग्रता और हतिों के टकराव को रोकने के लयि मीडयि स्वामति में पारदर्शति को बढ़ावा दयि जाए।
- **सार्वजनिक प्रसारण की स्वतंत्रता:**
 - सार्वजनिक प्रसारण संस्थानों की सरकारी नयित्रण और प्रभाव से स्वतंत्रता सुनश्चिति की जाए।
 - सार्वजनिक प्रसारणकर्ताओं की नगिरानी के लयि योग्य एवं नष्पिक्ख बोर्ड की नयिक्तकिरें और सुनश्चिति करें कउनका वतितपोषण सुरक्षति एवं नष्पिक्ख हो।
- **पत्रकारति संबंधी नैतिकता को बढ़ावा देना:**
 - मीडयि संगठनों को एक नैतिकता संहति का पालन करने के लयि प्रोत्साहति कयि जाए जो सटीकता, नष्पिक्खता एवं संतुलति रपिर्टगि पर बल देती हो।
 - उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लयि पत्रकारों के पेशेवर विकास एवं प्रशकिषण को बढ़ावा दयि जाए।
 - लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र और नष्पिक्ख प्रेस के महत्त्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जाए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
 - प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने एवं सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी करने के लयि यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता समूहों जैसे वभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाया जाए।
 - पत्रकारों की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र कार्य योजना (UN Plan of Action on the Safety of Journalists) का उद्देश्य पत्रकारों और मीडयिकर्मयिों के लयि एक स्वतंत्र एवं सुरक्षति माहौल का नर्माण करना है।

नषिकरष

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे को संबोधित करने के लिये वभिन्न हतिधारकों की ओर से ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी, जहाँ एक लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र प्रेस के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये साझा प्रतिबद्धता प्रकट की जाए। यह एक जटिल चुनौती है जिस पर निरंतर ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि देश में एक जीवंत एवं स्वतंत्र मीडिया वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

अभ्यास प्रश्न: भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंध प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये। देश में एक नषिपक्ष एवं स्वतंत्र प्रेस की सुरक्षा और संवर्धन के लिये उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रलिमिंस

प्रश्न. नजिता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संवधान में नमिनलखिति में से कसिसे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है?

- (a) अनुच्छेद 14 एवं संवधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
- (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दयि राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व
- (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
- (d) अनुच्छेद 24 एवं संवधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: (c)

मेन्स

आप 'वाक् और अभवियक्त स्वातंत्र्य' संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फलिमें अभवियक्त के अन्य रूपों से तनकि भन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिये।